संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक/ 861 /वि.यो.**496** /**2018** भोपाल,दिनांक 19/ 2 / **2018**

बुरहानपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि सतना विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त इंदौर, संभाग इंदौर,
2. कलेक्टर बुरहानपुर , जिला बुरहानपुर
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम , बुरहानपुर

अनुसूची

क्र.	**विकास योजना (नगर का नाम)**	**विकास योजना में भूमि में उपयोग**	**अध्याय**	**विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक**	**सारणी/कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक**	**उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक(5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकार्य उपयोग**
1	2	3	4	5	6	7
1	बुरहानपुर विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	4	कंडिका क्रं 4.14	पैरा प्रशासनिक/संस्थायें (पी.एस 1 एवं 2)	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	4	कंडिका क्रं 4.14	पैरा ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित)	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या -

i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है म.प्र शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।

ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii *** कृषि पर्यटन सुविधा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) अनुसार।

टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड़ हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश भोपाल